THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICAL IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAI. CHANDRA SINGH): (a) and (b) The New Drugs Prices Control Order based on the measures announced by the Government is likely to be announced shortly.

मध्य प्रदेश में लघु तथा सूक्ष्म पन-बिजली परियोजनाएं

3433. **कुमारी सईदा खातून :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में लघु एवं सूक्ष्म विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु क्या कार्यक्रम है ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के निर्माण हेतु विदेश सहयोग भी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में लघु एवं सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कितनी राशि उपलब्ध करायी जाएगी; तथा कौन सी परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित लघु मिनी तथा माइक्रो जल विद्युत स्कीमों का मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन करने का कार्यक्रम है :—

(1) कोरबा मिनी जल विद्युत परियोजना (1 X 800 किलोवाट)

(2) रेण्ड मिनी जल विद्युत परियोजना (3 X 335 किलोवाट)

(3) शहरी मिनी जल विद्युत परियोजना (2 X 100 किलोवाट)

(4) बरना जल विद्युत स्कीम (2 X 750) किलोवाट

(5) तावा बाया तट नहर (4 X 3000 किलोवाट)

(6) चम्बल दायां तट मुख्य नहर (3 X 310 किलोवाट)

उपर्युक्त के अलावा योजना आयोग द्वारा निम्नानुसार स्कीमें स्वीकृत की गई हैं. —

(1) भीमगढ़ मिनी जल विद्युत स्कीम (4 X 600 किलोवाट)

(2) माहेन मिनी जल विद्युत स्कीम (2 X 200 किलोवाट)

(ख) और (ग) इन स्कीमों के निर्माण के लिए किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा की सुविधा प्राप्त नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की स्कीमों के लिए सातवीं योजना में 35.47 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

Action against Associated Distilleries Hissar

3434. SHRI SHARAD YADAV:
SHRI TALARI MANOHAR
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Haryana has asked the Central Government to take action against M|s. Associated Distilleries, Hissar, the manu facturers of India-made Foreign Liquor (IMFL) and country liquor for violation of the provision of the Industries Deve lopment and Regulation (IDR) Act, 1951;

(b) if so, what are the details thereof and the action taken by Government in this regard; and

(c) what are the names of the members of the Board of Directors of the company?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) Efforts are being made to collect the necessary information.